प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **42/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

किशनलाल मेघवाल पताः गांव करणपुर, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(प्रशा.), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.09.2024 को सूचना चाहने हेतु श्रीमान उप सचिव, सचिवालय, राजस्व विभाग (ग्रुप–6) जयपुर को आवेदन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं विशिष्ट शासन सचिव द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर, उदयपुर को धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरित कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। अपीलार्थी द्वारा सूचना अप्राप्त होने पर प्रथम अपील प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग एवं द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयोग द्वारा अपीलार्थी की अपील में कमी–पूर्ति नोटिस से प्रथम अपील जिला कलक्टर को किये जाने का अवगत कराये जाने से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में अपील प्रस्तुत की है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/42/25/277–78 दिनांक 18.03.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प./41/2/सू.अ/प्र.अ.स./42/25/245 दिनांक 24.03.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध कार्यालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 1160–62 दिनांक 11.11.2024 द्वारा उक्त कार्यालय का अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के संबंध में प्रार्थी को भी पूर्व में सूचित कर दिया गया था। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय के पत्रांक 1160–62 दिनांक 11.11.2024 द्वारा अन्तरित कर दिया गया एवं अंतरण की सूचना से प्रार्थी को भी अवगत करवा दिया गया। लोक

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-04-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर